

## ब्रांडेड के नाम पर नकली शर्ट बेचने वाले दो भाई गिरफ्तार

 नोएडा ब्यूरो Updated Sat, 09 Nov 2019 01:48 AM IST

ब्रांडेड के नाम पर नकली शर्ट बेचने वाले दो भाई गिरफ्तार

नोएडा। ऑनलाइन ऑर्डर पर ग्राहकों को ब्रांडेड के नाम पर नकली कपड़े बेचने वाले एक गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार रात कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और इनके गोदाम से डेढ़ लाख से अधिक शर्ट बरामद कीं। आरोपी वजन बढ़ाने और शक्तिवर्द्धक दवाओं के नाम पर भी लोगों से ठगी करते थे। सिटी मजिस्ट्रेट ने इस फर्जी कंपनी के दफ्तर व गोदाम को सील कर दिया है। कोतवाली सेक्टर-24 पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस व प्रशासन की टीम ने सूचना के आधार पर सेक्टर-11 स्थित क्रिएटिव क्राफ्ट्स नामक एक कंपनी के दफ्तर में छापेमारी कर इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया। पुलिस का कहना है कि ये कंपनी सोशल साइट पर लुभावने ऑफर देकर कपड़ों व दवाइयों का आर्डर लेती है। हाल में कंपनी की ओर से कुटोंस ब्रांड की शर्ट 999 रुपये में बेचने का ऑफर दिया था। पुलिस ने सेक्टर-11 स्थित कंपनी के दफ्तर से हिसार, हरियाणा निवासी भाइयों पारुल गर्ग उर्फ पंकज और विपिन गर्ग को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह काफी समय से ब्रांडेड के नाम पर नकली कपड़े बेच रहे हैं। इसके बाद इनके सेक्टर-7 स्थित गोदाम से पुलिस ने डेढ़ लाख पैक और 15 हजार खुली शर्ट व पैकेजिंग का सामान बरामद किया है। गोदाम से मोटापा कम करने और शक्तिवर्द्धक दवाएं भी बरामद की हैं। पूछताछ में पता चला कि आरोपी इन दवाओं को भी ऑनलाइन बेचते थे। मौके पर पहुंचे ड्रग इंस्पेक्टर ने दवाओं के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं।

सोशल मीडिया पर करते थे प्रमोशन

पुलिस के मुताबिक आरोपी ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी कंपनी का प्रमोशन करते थे। फेसबुक, टिकटॉक व अन्य माध्यमों से लोगों को नए नए ऑफर देकर लुभाते थे। हैं। लोग इनके जाल में फंसकर सामान ऑर्डर करते थे। उन्हें ब्रांडेड के नाम पर नकली सामान भेजा जाता था।

ब्रांड के नाम पर नकली कपड़े बेचने वाले एक गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूरे नेटवर्क के बारे में पता लगाया जा रहा है।

वैभव कृष्ण, एसएसपी

Source: <https://www.amarujala.com/delhi-ncr/noida/two-brothers-selling-fake-shirts-in-the-name-of-branded-arrested-noida-news-noi4719127133>